

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2024/121548/GZP/GHAZIPUR/1114/CFO

दिनांक: 16-06-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स SHIV SHAKTI PUBLIC SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता NA, NEWADA LAWA, GHAZIPUR तहसील - GHAZIPUR, प्लॉट एरिया 11371.31 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 5062.62 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	4	0	12.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स SHIV SHAKTI PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 20-06-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री RAM PRASAD GUPTA sspublicschoolgzp@gmail.com 9415209326 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 21-06-2024 से 21-06-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स SHIV SHAKTI PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स SHIV SHAKTI PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : AS PER FSSO REPORT-

आवदेक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भवन वर्ष 2020 में निर्मित है।

1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाए।

2- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है।

3- विद्युत सुरक्षा विभाग से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4- प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है।

5- अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024, स्थानीय उपनियमों व शासनादेश संख्या- 187/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति की जाती है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(BHARTENDU JOSHI)

[87BA5E6753A57C9B42EDD70F8848F1ADE72328F8]

21-06-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 21-06-2024
स्थान : GHAZIPUR

